

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा

बितीद

बनाम

वसिन्द्र कुमार

किस्म मुकदमा

राफ

नं०

110/2018

सन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तां अहकाम जो जारी हु
18/12/2024	<p>पत्रावली पेश हुइ... अधिष्ठापक संघ द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित कराने सं अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 26/12/24 को पेश की जावे।</p> <p><i>[Signature]</i></p>	
26/12/2024	<p>पत्रावली पेश हुइ... ब्रीत्कालीन अवकाश के कारण अधिष्ठापक संघ द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित कराने सं अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 15/01/25 को पेश की जावे।</p> <p><i>[Signature]</i></p>	
15/01/2025	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी व वकील वादी न्यायालय में अनुपस्थित। वादी तथा वकील वादी की न्यायालय द्वारा न्यायालय समय में तीन बार अलग-अलग समय पर आवाज लगाई गई बावजूद वादी तथा वकील वादी न्यायालय में अनुपस्थित। अतः न्यायालय में प्रकरण में वादी की ओर से फेरती हेतु उपस्थित नहीं होने से वाद-पत्र इसी स्तर पर अदम हाजिरी अदम फेरती में खासि किया जाता है। पत्रावली फेरती सुमार लेकर दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर शामिल दफ्तर हो।</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (बितीद इगद)</p>	